Land Development by National Wasteland Development Board

168. SHRI NARAYAN KAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the State-wise area of land earmarked for development by the National Wasteland Development Board during 1986-87; and

(b) the State-wise target achieved so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) The State-wise area proposed and actually reclaimed during 1986-87 by the afforestation under Twenty Point Programme for which National Wasteland Development Board is the nodal agency for the country is given in the enclosed statement

Statement

Targets and achievements under afforestation for 1986-87

(Area in '000 ha.).

State/ UT code	State/UT	Physical Target	Physical Achievement upto 31 Mar 8
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	150.00	143.71
2	Assam	20.00	31.28
3	Bihar	130.00	135.55
4	Gujarat	81.55	113.55
5	Haryana	36.25	37 08
6	Himachal Pradesh	31.25	33.56
7	Jammu & Kashmir	26.10	28.53
8	Karnataka	125.00	115.84
9	Kerala	60.00	75.96
10	Madhya Pradesh	185.00	196.00
11	Maharashtra	120.00	119.09
12	Manipur	8.00	7.44
13	Meghalaya	7.50	7.90
14	Nagaland	17.50	27.18
15	Orissa	120.00	116.34
16	Punjab	27.50	28.38
17	Rajasthan	55.00	67.05
18	Sikkim	5.50	5.75
19	Tamil Nadu	120.00	99.06

1	2	3	4
20	Tripura	16.00	13.15
21	Uttar Pradesh	225.00	243.25
22	West Bengal	70.00	70.80
23	A & N Islands	6.00	6.12
24	Arunachal Pradesh	6.25	6.25
25	Chandigarh	0.17	0.19
26	D & N Haveli	2.50	1.76
27	Delhi	1.50	3.15
28	Goa Daman & Diu	3.75	3.40
29	Lakshadweep	0.01	0.01
30	Mizoram	56.40	23.90
31	Pondicherry	0.50	0.65
	G. TOTAL	1,714.23	1,761.87

कस्तूरबा नगर, दिल्ली-32 के एक मकान में हुई डकैती

169. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विवेक विहार पुलिस स्टेशन शाहदरा, दिल्ली 32 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित मकान नं० 28/171/सी-1, कस्तूरबा नगर, दिल्ली-32 के निवासी श्री अतर सिंह नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता के घर में 22 जून, 1987 को रात 10 बजे लूटपाट और मार-पीट की गई थी तथा आग भी लगाई गई थी और थानाध्यक्ष ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से भी इंकार कर दिया था और इसकी बजाय, श्री अतर सिंह तथा किसी अन्य व्यक्ति को किसी झगडे में शामिल करके बंद कर दिया गया था ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो क्या इस मामले की जांच कराने के आदेश जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (क) में उल्लेख किया गया है क्या जांच कराने तथा दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही कब तक किए जाने का विचार है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) 22 जून, 1987 की शाम को, गुरुद्वारा कस्तूरबा नगर के नजदीक